संख्या– 1754/9–9–12–101ज/09

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर, 2012**

विषय– तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राज्य विशिष्ट अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वाराणसी शहर में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–865/9–9–2012–101ज/09 दिनांक 27.08.12 द्वारा वर्ष 2011–12 की कार्ययोजना में उल्लिखित कार्यो को कराये जाने हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित धनराशि रू0 455.72 लाख (रू0 चार करोड़ पचपन लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 455.72 लाख की धनराशि अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ को कतिपय शर्तों के अधीन अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2– इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–8/3347/92(1)/67–तेरहवॉ वित्त आयोग /वि0अनु0 दिनांक 19.10.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27.08.2012 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–4 में धनराशि का कोषागार से आहरण करने के लिये जिलाधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उक्त शासनादेश के उप प्रस्तर–11 में स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था तथा अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ का होगा । धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद किया जायेगा।

3– उक्त शासनादेश के उप प्रस्तर–8 के अनुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य कराये जाने हेतु सी. एण्ड डी.एस. जल निगम विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

4— उक्त शासनादेश को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा । शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

5— यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या—1554(1)/9—9—12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रधान महालेखाकार(रिर्पोट ब्रांच)उ0प्र0इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)उ0प्र0इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, वाराणसी ।
5. नगर आयुक्त,नगर निगम, वाराणसी ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ ।
7. निदेशक, सी.एन.डी.एस. जल निगम, उ0प्र0।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—8/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1/2 वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9. गृह (पुलिस) अनुभाग—8 ।
10. वेब मास्टर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

kmgo-1